सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019 / 00020 दर्ज तिथिः—15.03.2019

1. बाबुराम पुत्र बरजांगा
2. राजूराम पुत्र बरजांगा
3. गवरी पत्नी बरजांगा
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. भाखरा पुत्र हनुमानराम
3. वरीगा पुत्र रतना
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—
   - कि वादीगण अपने पूर्व पुरूष मोती पुत्र गंगा का एक मात्र वारिस है। मोती पुत्र गंगा के तीन पुत्र जैता पुत्र मोती, सूजा पुत्र मोती व रतना पुत्र मोती है। जैता व रतना लाऔलाद फौत हो गये। सूजा पुत्र मोती के एक ही पुत्र वरजंगा पुत्र सूजा वारीस है। वादीगण वरजांगा के विधिक वारिस है। वादी के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

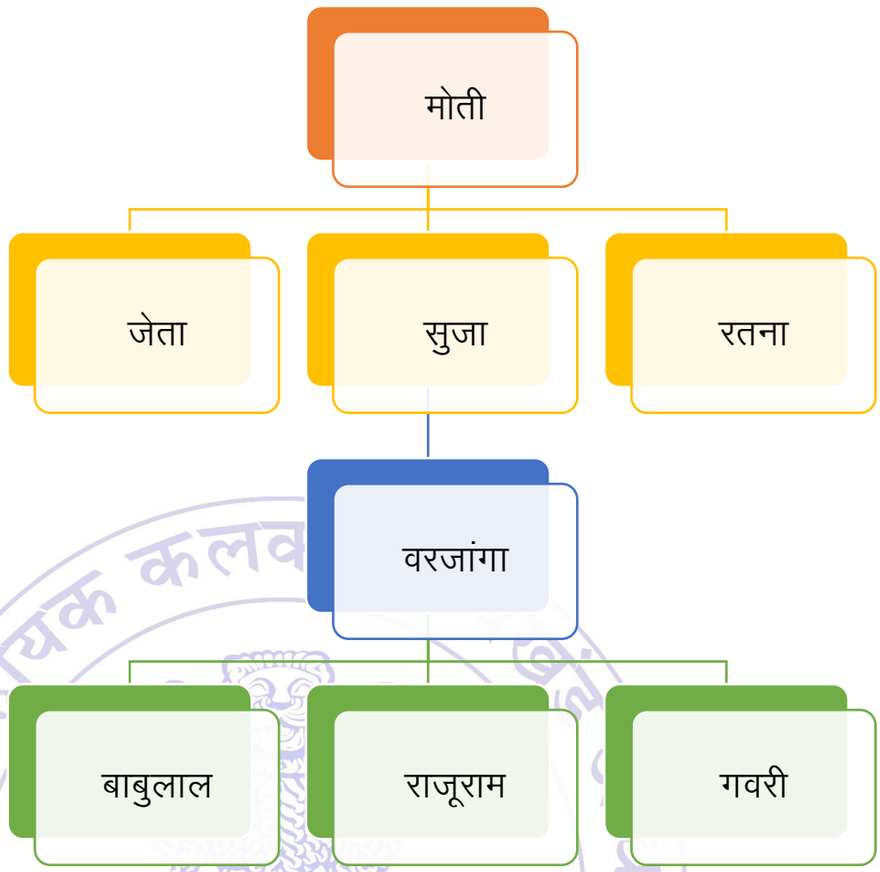

- कि वक्त बंदोबस्त वादीगण के पितामह मोती व चाचा जीवित थे। मोती पुत्र गंगा के जीवनकाल मे उनके पुत्र सूजा व रतना का देहांत हो चुका था। वक्त बंदोबस्त के समय वादी के पिता वरजांगा की उम्र लगभग 12 साल थी। वक्त बंदोबस्त मोती पुत्र गंगा ने खेतो की पैमाईश करवाई। बंदोबस्त द्वारा खसरा संख्या 11 रकबा 19 बीघा 14 बीस्वा, खसरा संख्या 10 रकबा 08 बीस्वा व खसरा संख्या 268 रकबा 14 बीघा 01 बीस्वा का पर्चा लगान मोती पुत्र गंगा के नाम जारी किया गया। साथ ही खसरा संख्या 15 रकबा 21 बीघा व खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बीस्वा का पर्चा लगान पुत्र जैता व पौत्र वरसींगा के नाम जारी किया गया। वादीगण के पिता व पति वरजांगा की वल्दीयत सूजा है परंतु सहवन से रतना अंकित कर दी गई।
- कि वादीगण के पितामह मोती का देहांत संवत 2015 मे होने से नामान्तरण संख्या 03 के द्वारा उनके नाम पर अंकित खातेदारी भूमि जैता व पौत्र वरजांगा के नाम विरासत मे दर्ज की गई। जैता पुत्र मोती तथा उनकी पत्नी के लाऔलाद देहांत होने के कारण विरासत का नामान्तरण संख्या 48 वरजांगा के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 15 व 62 बंदोबस्त के राजस्व रिकार्ड मे जैता पुत्र मोती व वरीया पुत्र रतना के नाम दर्ज की गई। उक्त आराजी नामान्तरण संख्या 48 के द्वारा वरजांगा पुत्र सूजा व वरिंगा पुत्र रतना के नाम दर्ज की गई।
- कि वरजांगा पुत्र सूजा एवं वरिंगा पुत्र रतना एक ही व्यक्ति है। वादीगण के पिता व पूर्वज का सही नाम वरजांगा है तथा वादीगण के पिता की वल्दीयत सूजा है। रतना वादीगण के चाचा थे जो कि बंदोबस्त से पूर्व ही फौत हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

चूके थे। बंदोबस्त के पर्चा लगान संख्या 10 मे वादीगण के पिता का नाम वरजांगा अंकित है। उक्त पर्चा लगान के आधार पर बनी जमाबंदी बंदोबस्त मे वादी के पिता का नाम वरइगा है। प्रथम चौसाला खतौनी संवत 2013 से 2016 मे वादीगण के पिता का नाम वरजीरा है। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम वरिंगा अंकित है। अर्थात वरजांगा से वरइगा, फिर वरजीरा और अब वरींगा यह सब लिपिकिय भूल है। यह भूल वादीगण के पिता की वल्दीयत गलत लिखे जाने से हुई है।

- कि मोती के दो पुत्र सूजा व रतना उनके जीवनकाल मे ही फौत हो चूके थे। तत्पश्चात वादी के चाचा रतना का भी देहांत हो गया। वक्त बंदोबस्त सहवन से वरजांगा की वल्दियत असल मे सूजा के बजाय रतना के नाम दर्ज करदी। प्रकरण मे रत्ना कुवारा ही फौत होने के कारण उनके संतान उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादी के पिता वरजांगा ने ही रतना की देखभाल एक पुत्र की तरह की थी। इस प्रकार मोती पुत्र गंगाराम के परिवार में एकमात्र वारिस वरजांगा पुत्र सूजा ही है। इस आधार पर वरजांगा पुत्र सूजा एवं वरजांगा पुत्र रतना एक ही व्यक्ति है।
- अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62, 62/3 व खसरा संख्या 15 कुल रकबा 36 बीघा 07 बीस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे से वरींगा पुत्र रतना का राजस्व इंद्राज कलमजन किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 02 को यथावत सहखातेदार रखे जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया
   - कि विरजिंगा/वरिंगा व वरजांगा एक ही व्यक्ति नही है। वरिंगा पुत्र रतना की राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टि को हटाया जाना उचित नही है।
   - उक्त उक्त प्रकार वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ तथ्यों से परे व झुठी होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया
   - कि असल मे मोती के चार पुत्र सदा, जैता, सूजा व रतना थे। इस प्रकार वादी मोती की विरासत को गलत बताकर उक्त जमीन को हडपना चाहते है।
   - उक्त उक्त प्रकार वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ तथ्यों से परे व झुठी होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

4. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

   1. आया वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है जो कि मोती पुत्र गंगा के वारिस/वारिसान है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

.....वादीगण

2. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 15 व 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के जायज व एकमात्र वारिश होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 15 व 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर अंकित राजस्व इन्द्राज वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना को दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

4. आया वादवर्णित आराजी में से तत्कालीन खातेदार द्वारा विधिवत राज्य सरकार को समर्पण किये जाने के पश्चात वादीगण को समर्पित सरकारी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।

.....वादी

5. आया मुतनाजा आराजी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के अन्य वारिश होने तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा गलत होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 02

6. आया वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना अलग अलग व्यक्ति होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 01

7. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

5. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

संवत/विवरण	प्रदर्श
नक्शा मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15	प्रदर्श–पी01
जमाबंदी मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15	प्रदर्श–पी02
नक्शा ट्रेस मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 62 व 62/3	प्रदर्श–पी03
मिसल बंदोबस्त मौजा गांधव कला खसरा संख्या 268	प्रदर्श–पी04
मिसल बंदोबस्त मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी05
जमाबंदी संवत 2070–73 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 62 व 62/3	प्रदर्श–पी06
खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी07
जमाबंदी संवत 2013–2016 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी08
जमाबंदी संवत 2022–2025 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी09
जमाबंदी संवत 2030–2033 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी010
जमाबंदी संवत 2037–2040 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी011

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी संवत 2042—2045 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी012
जमाबंदी संवत 2042—2045 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी013
जमाबंदी संवत 2050—2053 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी014
जमाबंदी संवत 2046—2049 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी015
जमाबंदी संवत 2054—2057 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी016
जमाबंदी संवत 2054—2057 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी017
जमाबंदी संवत 2081 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श—पी018
अखबार की प्रति जिसमें प्रतिवादी वरीगा पुत्र रतना का नाम छाया किया गया	प्रदर्श—पी019
वरीगा पुत्र रतना को भेजा गया सम्मन	प्रदर्श—पी020
भू.अ.नि. द्वारा तहसीलदार को प्रेषित मौका फर्द का पत्र	प्रदर्श—पी021
मौका फर्द मौजा गोदारों की ढाणी खसरा संख्या 15, 62 व 62/3	प्रदर्श—पी022
खसरा संख्या 15, 62 व 62/3 की मौका फर्द का हाजा न्यायालय को प्रेषित पत्र	प्रदर्श—पी023

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाहों के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम	विश्नोई	गोदारो की ढाणी	पी0डब्ल्यू—1
पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह	रावणा राजपुत	गांधव कला	पी0डब्ल्यू—2
जालाराम पुत्र रूपाराम	विश्नोई	गांधव कला	पी0डब्ल्यू—3
लाखाराम पुत्र अर्जुनराम	विश्नोई	गोदारो की ढाणी	पी0डब्ल्यू—4

7. प्रकरण में बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम पी0डब्ल्यू—01, पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह पी0डब्ल्यू—02, जालाराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू—03, लाखाराम पुत्र अर्जुनराम पी0डब्ल्यू—04 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
   - कि वादी के पड़दादा मोती के तीन बेटे थे। जो क्रमवार जेता, सुजा व रतना थे। वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 11, 10, 268, 15, 62 रकबा क्रमशः 19—14 बीघा, 0—08 बीघा, 14—01 बीघा, 21—00 बीघा, 30—14 बीघा आए हुए थे। मोती वल्द गगा की फौतगी का नामान्तरणकरण संख्या 3 उसके पुत्र जैता व पौत्र वादीगण के पिता बरजांगा के नाम जारी हुआ। खसरा संख्या 15 व 62 में नामान्तरण संख्या 48 में जेता पुत्र मोती व बरसिंगा पुत्र रतना के नाम पारित किया गया जबकि रतना कुंवारा लाऔलाद फौत हो चुका था व तत्श्चात जैता भी फौत हो गया। अतः बरसिंगा वल्द रतना के स्थान पर बरजांगा पुत्र सुजा का नामान्तरणकरण पारित किया जाना था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

- कि वरसिंगा के नाम नामान्तरणकरण पारित करने के बाद जमाबन्दियों में वरसिंगा व उसके संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी में वरिंगा दर्ज किया गया। वीरसिंगा, वरसिंगा, वरिंगा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है सिर्फ बरजांगा पुत्र सुजा है। राजस्व कार्मिकों की भूल से नामान्तरणकरण संख्या 48 में बरजांगा पुत्र सुजा के स्थान पर बरजांगा पुत्र रतना दर्ज कर दिया। जबकि रतना पुत्र मोती सेटलमेंट से पूर्व फौत हो चुका था।
- कि वीरसिंगा, वरिंगा, वरसिंगा सिर्फ लेखनीय त्रुटि है। वरिंगा पुत्र रतना एवं बरजांगा पुत्र सुजा एक ही व्यक्ति है। जिसे बरजांगा पुत्र सुजा किया जाना है।
- इस प्रकार वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 15, 62, 62/3 कुल रकबा 36—07 बिस्वा मौजा गोदारो की ढाणी की भूमि में वादीगण के पिता की खातेदारी एवं खसरा संख्या 62 व 62/3 में यथावत प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 15, 62 व 62/3 मौजा गोदारो की ढाणी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वरिंगा पुत्र रतना की प्रविष्टि हटाई जावे।
- इस संबंध में पैरा संख्या 05 में अंकित प्रदर्श साक्ष्य स्वरूप करवाए गए है।

8. प्रकरण में बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम पी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं आठवी पास हूं। मेरी उम्र 58 वर्ष है। रतनाराम कुंवारेपन में फौत हो गया था। सुजाराम की पत्नी का नाम माडूदेवी है। वरसींगा नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं तो उसकी माता नही है। विवादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से वरींगा पुत्र रतना के नाम दर्ज थी। वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिनांक तक वरींगा पुत्र रतना नाम आ रहा है अज खुद कहा कि कही नाम वरींगा कही वरसींगा है तो कही वरजींगा है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मोती पुत्र गंगा के नाम थी। शपथ पत्र में पांच पद है। शपथ पत्र में शपथ किसके समक्ष ली? इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में किसी भी वकील की पहचान नहीं दी हुई है। वाद पत्र कितने पृष्ठों में है मुझे याद नहीं। वाद पत्र किस दिनांक व सन को पेश किया मुझे याद नहीं। यह कहना गलत है कि वाद पत्र वकील साहब ने पेश किया हो अज खुद कहा कि वकील साहब के माध्यम से मैंने दावा पेश किया। मेरी रहवासी ढाणी खसरा संख्या 11 में है। 62 नंबर खसरा 32 बीघा व कुछ बिस्वा का है। वर्तमान में 62 नंबर खसरा 32 बीघा का नहीं है इसमें कुछ बेच दिया काट दिया गया। इसमें से मेरे दादा ने 7 बीघा जमीन गोचर करवाई इसके अलावा जो भी काटा है वो गलत काटा है। और किस किस में काटा गया मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि 62 नंबर खसरा में से 15 बीघा 7 बिस्वा जमीन राज्य सरकार के पक्ष में काटी गई हो। अज खुद कहा कि 7 बीघा जमीन मेरे दादा द्वारा कटाई गई। जो जमीन मेरे दादा ने कटाई थी उस जमीन पर वर्तमान में जांभोजी का मंदिर व एक स्कूल का मैदान बना हुआ है। वरींगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति था ही नही तो समर्पण कौन करेगा। गोदारों की ढाणी में कोई हॉस्पीटल है भी नहीं। खसरा संख्या 62/4 में कौन कौन खातेदार है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। 62/2 में कौन—कौन खातेदार है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। खसरा संख्या 62 के चार बटे पड़े 62/2, 62/3, 62/4 एव 62। 62/3 मे कौन खातेदार है मुझे पता नहीं। खसरा संख्या 62 संयुक्त खातेदारी का है जिसमें खातेदार वरींगा रतना, बाबुलाल, राजूराम पिता वरजांगाराम, गवरी पत्नी वरजांगाराम है। मोती के चार लड़के थे सदाराम, जेताराम, सुजाराम, रतनाराम। रतना को फौत हुए कितने साल हुए है मुझे याद नहीं है उस समय मेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

जन्म नही हुआ था। रतना के कोई पत्नी नही थी तो कोई पुत्र नही था। वरींगा, रतना का पुत्र नही था, रतना कुंवारा था। दादा—परदादा पूर्वज बात करते थे कि रतना की शादी नहीं हुई थी। मैने परदादा को देखा भी नही है। मेरे परदादे का नाम मुझे ध्यान है। मैंने परदादे के चार पुत्र थे। रतना फौत के पुत्र वरीगां का नामान्तरण खोला गया था तत्कालीन समय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए फौजदारी कार्यवाही नही की गई। हम समझने शुरू हुए तब वरींगा,वरसींगा पुत्र रतना की जानकारी हुई। मैं बीस साल का था तब समझना शुरू हुआ तब पता चला कि मेरी जमीन में नाम गलत है। समझने के बाद मेरे द्वारा पुलिस में कोई फौजदारी कार्यवाही नही की गई। वरींगा पुत्र रतना ने कौनसे सन में राज्य सरकार को जमीन समर्पण की है। मुझे जानकारी नहीं। अज खुद कहा कि वरींगा नाम का व्यक्ति था ही नहीं। वाद पत्र में मैने क्या क्या कागज पेश किए है मुझे याद नहीं है। वाद पत्र में जो दस्तावेज पेश किए है वो वकील साहब ने बाड़मेर से लाकर पेश किए हो इस बात की मुझे जानकारी नही है। 62 नं. खसरे में एक नाडी बनी हुई हो तो मैने नहीं देखी। मेरे खसरे में कोई नाडी नही है। राउप्रावि गोदारों की ढाणी स्कूल बनी हुई है वो कौनसे खसरे में बनी हुई है मुझे जानकारी नहीं है हमारे सेढ़ा सेढ़ बनी हुई है जिसकी चारदीवारी 20 फिट हमारे खसरे में आती है। मेरे दादे ने राज्य सरकार के पक्ष में किस सन में जमीन समर्पण करवाई मुझे जानकारी नहीं है। 62 नं. खसरा में से मेरे दादा ने 15 बीघा 7 बिस्वा समर्पण करवाई हो मुझे जानकारी नही है। 7 बीघा समर्पण करवाई वो मुझे ध्यान है। यह दावा नाम शुद्धिकरण वरींगा रतना हटाने का किया है।

9. प्रकरण में पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह पी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं पढ़ा लिखा हु हस्ताक्षर करना जानता हूं। दावा कब किया मुझे याद नहीं है। दावा किसलिए किया मुझे पता है। जमीन के बारे में बटंवाडे के बारे में किया है। दुसरे के बारे में मुझे कोई पता नही है। विवादग्रस्त आराजी पर सरकारी बिल्डिंग बनी हुई नही है। अज खुद कहा कि वादीगण की ढाणिया बनी हुई है। हमारे गांव में कोई हॉस्पीटल बना हुआ नही है। अज खुद कहा कि एक कमरा बना हुआ है जहां एक नर्स रहती है। यह एक कमरा बना हुआ है जो गांव की आबादी में बना हुआ है। यह जो एक कमरा बना हुआ है जो सरकारी जमीन में बना हुआ है यह बात सही है। अज खुद कहा कि आबादी में बना हुआ है जो पंचायत के अंडर में है। उक्त सरकारी कमरा कौनसे खसरे में बना हुआ है खसरा संख्या याद नहीं है। आंगनवाड़ी बनी हुई है। आंगनवाड़ी भी आबादी भूमि में बनी हुई है। गांधव गावं में नाड़ी है। यह कहना गलत है कि गांधव में नाडी सरकारी भूमि में बनी हो अज खुद कहा कि गोचर भूमि में बनी हुई है। 32 बीघा वाले खसरे में से 15 बीघा 07 बिस्वा जमीन सरकार को सौंपी हो तो मुझे ध्यान नहीं। यह दावा खसरा संख्या 15 और 62 का है। 62 नंबर खसरा 30—35—40 बीघा का है। यह कहना गलत है कि हॉस्पीटल एवं आंगनवाड़ी खेत खसरा 62 में बना हुआ है। अज खुद कहा कि आबादी भूमि में बना हुआ है। वादी बाबूराम व मेरे खेत के बीच 8—10 बीघा की दूरी पर है। वादी बाबूराम ने इस वाद से पहले कभी दावा नहीं किया है क्योंकि पहले कोई विवाद ही नही था। इसकी जमीन थी और यह ही काश्त करता था। इस जमीन का विवाद वादी बाबूराम के धड़े का भाई ने विवाद उठाया की इस जमीन पर हमारा भी हक है इसलिए यह विवाद खड़ा हुआ। वादी बाबूलाल ने उक्त दावा भाईयों से बंटवाड़ा का दावा लगाया है यह कहना सही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में जालाराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू—03 दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरा गांव गांधव कला, गोदारों की ढाणी है। मैं कोर्ट में इसलिए आया हु कि वरींगा का नाम हटाने और बरजांगा के परिवार का नाम चढ़ाने हेतु दावे में बयान देने आया हुं। इसको लेकर पहले कई बार पंचायती हुई। यह पंचायती कब हुई मुझे याद नहीं। उक्त पंचायती 30 साल पहले या बाद में हुई हो मुझे याद नहीं। यह कहना सही है कि वरसींगा पुत्र रतना ने अपने हिस्से में से 15 बीघा 07 बिस्वा जमीन राज्य सरकार को गोचर करवाई। अज खुद कहा कि वरसींगा ने न करवाकर जेताराम ने करवाई। 62 नंबर खसरे में से गोचर करवाई जमीन पर एक जांभोजी का मंदिर व एक हॉस्पीटल का कमरा बना हुआ है। पुनः परीक्षण— रतना पुत्र मोती की शादी नही हुई और उनके कोई बच्चे नही थे इनके चंवरी का धुंआ ही नही लगा था। डोकरे के नाम का म्युटेशन भरा गया तब हमे जानकारी हुई तब हमे जानकारी हुई। म्युटेशन कब भरा गया मुझे याद नहीं है। म्युटेशन 50 साल पहले भरा हो तो मुझे ध्यान नहीं।

11. प्रकरण में लाखाराम पुत्र अर्जुनराम पी0डब्ल्यू—04 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 85 वर्ष है। यह वाद खसरा संख्या 15 और 65 का चल रहा है। 62 नंबर खसरा कितने बीघा का है मुझे पता नही क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। इस शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है मुझे ध्यान नही है और यह शपथ पत्र पढ़कर भी नही सुनाया गया।

12. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा फलस्वरूप कोई प्रदर्श अंकित नहीं करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भाखराराम पुत्र हनुमानराम	विश्नोई	गांधव कला	डी0डब्ल्यू—1
विरधाराम पुत्र गोरखाराम	विश्नोई	गोदारो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—2

13. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—1 भाखराराम पुत्र हनुमान एवं विरधाराम पुत्र गोरखाराम डी0डब्ल्यू—2 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
    - कि प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी मौजा गोदारो कीढाणी तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 62/10—07 बीघा, 62/3/05—01 बीघा का आया हुआ है। जिसमें प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा किया हुआ है। उक्त खसरों का मूल खसरा 62 व 15 थे बाद में मूल खसरो के अलग—अलग खसरे हो गए। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा खसरा संख्या 62 में से कुछ जमीन जरीये बेचान से सन 2001 में क्रय की गई। तब से उक्त भूमि पर काबिज है।
    - कि मोती के चार पुत्र थे जो क्रमवार सदा, जेता, सुजा, रतना थे। जो पैतृक भूमि में अपने—अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे थे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

- कि तत्कालीन समय में मूल खसरा 62/30—14 बीघा में से तत्कालीन खातेदारों द्वारा उक्त खसरे में से 15—07 बीघा का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जिसका नामान्तरण 33/1996 स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात समर्पण भूमि के दो खसरे हो गए खसरा संख्या 62/1/12—07 बीघा राज्य सरकार के नाम से खातेदारी में तथा दुसरा खसरा संख्या 62/2/3—00 बीघा गैर मुमकिन स्कूल रा0प्रा0वि0 गोदारो की ढाणी हेतु आरक्षित जिस पर वर्तमान में विद्यालय बनाम हुआ है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रशासन आपके द्वारा—2004 में उक्त मूल खसरा संख्या 62/1/12—07 बीघा में से 2—00 बीघा श्मशान हेतु आरक्षित कर दी गई। जिस पर वर्तमान में श्मशान घाट बना स्थापित है। वर्तमान में राज्य सरकार के पास शेष खसरा संख्या 62/1/10—07 बीघा पर सार्वजनिक नाडी एवं स्वास्थ्य भवन बना हुआ है।

14. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—1 भाखराराम पुत्र हनुमान ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैंने सन 2001 में भूमि ली थी। मैंने जमीन वरजांगा पुत्र सुजा से खरीदी थी। जमीन 5 बीघा 1 बिस्वा जमीन वरजांगा से खरीदी थी। जमीन कब नपी थी वह मुझे याद नहीं है। अज खुद कहा कि मेरे जन्म से पहले नपी थी। यह कहना गलत है कि जमीन नपी थी तब सदा, जेता और सूजा के अलग अलग नपी हो। अज खुद कहा कि साथ में नपी थी। बाद में कहा कि चारों की साथ में नपी थी। चारों की जमीन साथ में नपी थी यह बात मुझे मेरे पिताजी हनुमानाराम ने बताई थी। रतना कब फौत हुआ मुझे मेरे पिताजी ने नहीं बताया। मेरे समझ से पहले फौत हो गया था। रतनाराम अविवाहित था। रतनाराम के कोई औलाद नही थी।

15. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—2 विरधाराम पुत्र गोरखाराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि भाखराराम ने सन 2010—2011 में खरीदी थी। भाखराराम ने जमीन किस से खरीदी उसका नाम मुझे याद नहीं है। 5 बीघा कुछ बिस्वा जमीन खरीदी थी। कौनसे खसरे से जमीन खरीदी मुझे पता नहीं है। भाखराराम ने खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री देखी। मैं भाखराराम की जमीन में आता जाता हूं। हमारे बूढ़िये चार भाई थे। इन चारो में से किस से खरीदी इसका मुझे ध्यान नही है। रतना कब फौत हुआ मुझे पता नहीं है। रतनाराम के कोई पत्नी नहीं थी। रतनाराम कुंवारा ही था, ना ही रतनाराम के कोई लड़का था।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 15, 62, 62/3 कुल रकबा 36—07 बिस्वा मौजा गोदारो की ढाणी की भूमि में वादीगण के पिता की खातेदारी एवं खसरा संख्या 62 व 62/3 में यथावत प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 15, 62 व 62/3 मौजा गोदारो की ढाणी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वरिंगा पुत्र रतना की प्रविष्टि हटाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपने पूर्वजों की वल्दीयत गलत बताई गई है। प्रकरण में नामन्तरणकरण संख्या 48/2001 के द्वारा जैता पुत्र मोती की विरासत गलत दर्ज की गई है। असल में जैता की विरासत मोती के अन्य पुत्रों में बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। इसी प्रकार निवेदन किया कि वादी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

गवाहों के साक्ष्य प्रकरण में पठन योग्य नहीं है। इस आधार पर वादी का दावा काबिले—ए—खारिज है।

17. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 का एक साथ विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 निम्न प्रकार हैंः—

    1. आया वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है जो कि मोती पुत्र गंगा के वारिस/वारिसान है।

    .....वादीगण

    2. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 15 व 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के जायज व एकमात्र वारिश होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीगण

    3. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 15 व 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर अंकित राजस्व इन्द्राज वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना को दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीगण

18. प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 का विश्लेषण अपेक्षित है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि वरसिंगा के नाम नामान्तरणकरण पारित करने के बाद जमाबन्दियों में वरसिंगा व उसके संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी में वरिंगा दर्ज किया गया। वीरसिंगा, वरसिंगा, वरिंगा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है सिर्फ बरजांगा पुत्र सुजा है। राजस्व कार्मिकों की भूल से नामान्तरणकरण संख्या 48 में बरजांगा पुत्र सुजा के स्थान पर बरजांगा पुत्र रतना दर्ज कर दिया। जबकि रतना पुत्र मोती सेटलमेंट से पूर्व फौत हो चुका था। वीरसिंगा, वरिंगा, वरसिंगा सिर्फ लेखनीय त्रुटि है। वरिंगा पुत्र रतना एवं बरजांगा पुत्र सुजा एक ही व्यक्ति है। जिसे बरजांगा पुत्र सुजा किया जाना है।

19. प्रकरण में प्रदर्श—07 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी सर्वप्रथम जैता वल्द मोती व विरंजीगा वल्द रतना के नाम खतौनी बंदोबस्त संवत 2012—2031 में दर्ज की गई। इसी प्रकार प्रदर्श—08 जमाबंदी संवत 2013—2016 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी का राजस्व इन्द्राज जैता वल्द मोती व वरजीरा वल्द रतना के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श—10 जमाबंदी संवत 2030—2033 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी का राजस्व इन्द्राज जैता वल्द मोती व वरजांगा वल्द रतना के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श—11 जमाबंदी संवत 2037—2040 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी का राजस्व इन्द्राज जैता वल्द मोती व वरींगा वल्द रतना के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श—17 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तरणकरण संख्या 48 दिनांक 05.03.2001 के द्वारा जैता की विरासत वरजांगा वल्द सुजा के नाम दर्ज की गई। साथ ही साक्ष्य गवाह एवं प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विरंजीगा वल्द रतना, वरजीरा वल्द रतना, वरजांगा वल्द रतना तथा वरींगा वल्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

रतना एक ही व्यक्ति है। उक्त प्रकार से प्रतीत होता है कि वरजांगा के अलग—अलग जमाबंदियों में अलग—अलग नाम सहवन से अंकित हो गए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विरंजीगा वल्द रतना, वरजीरा वल्द रतना, वरजांगा वल्द रतना तथा वरींगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है।

20. अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि वरजांगा वल्द रतना व वरजांगा पुत्र सुजा एक ही व्यक्ति है अथवा अलग—अलग व्यक्ति है। प्रकरण में प्रदर्श—07 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी सर्वप्रथम जैता वल्द मोती व विरंजीगा वल्द रतना के नाम खतौनी बंदोबस्त संवत 2012—2031 में दर्ज की गई। प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि वरजांगा वल्द रतना व वरजांगा पुत्र सुजा एक ही व्यक्ति नहीं होकर अलग—अलग व्यक्ति है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह साबित नही किया गया है कि वरजांगा वल्द रतना नाम का व्यक्ति की पहचान क्या है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वक्त बंदोबस्त संम्वत 2012 वर्ष 1955 में वरजांगा वल्द रतना का नाम खतौनी बंदोबस्त में दर्ज किया गया था। उक्त घटना के करीब 70 वर्ष बाद तक वरजांगा वल्द रतना के जीवित होने अथवा इस नाम के व्यक्ति के संबंध में कोई प्रमाण व जानकारी नहीं है। असल में वरजांगा वल्द रतना नाम का कोई व्यक्ति गोदारो की ढाणी में निवासरत होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार वरजांगा वल्द रतना के वारिसान को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वरजांगा वल्द रतना नाम का कोई व्यक्ति असल में अस्तित्व ही नहीं करता है।

21. प्रकरण में अगला प्रश्न यह है कि क्या वरजांगा वल्द सुजा ही वरजांगा वल्द रतना है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक वंशावली के संबंध में प्रतिवादी द्वारा पारिवारिक वंशावली को आंशिक स्वीकार करते हुए अभिकथन किया है कि मोती के चार पुत्र थे। मुतनाजा आराजी के खातेदार जैता वल्द मोती की विरासत मोती के तीन अन्य पुत्रों के नाम दर्ज होती चाहिए थी। इस प्रकार जैता वल्द मोती की विरासत मोती के एक अन्य पुत्र सदा पुत्र मोती के वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इस प्रकार जैता वल्द मोती की विरासत वरजांगा पुत्र सुजा के नाम गलत दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रतिवादी का मुख्य जोर इस बात पर नहीं है कि वरजांगा पुत्र सुजा व वरजांगा वल्द रतना अलग—अलग व्यक्ति है बल्कि प्रतिवादी का मुख्य जोर जैता की विरासत पर है। प्रकरण में प्रतिवादी ने ईकबालिया जवाब देकर वादी के अभिकथनों को स्वीकार किया है। साथ ही साक्ष्य गवाह एवं प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वरजांगा पुत्र सुजा व वरजांगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है। उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि वरजांगा पुत्र सुजा व वरजांगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है। राजस्व इन्द्राज में अंकित वरजांगा वल्द सुजा व वरजांगाा वल्द रतना केवल लिपिकीय त्रुटि है। इस प्रकार इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 01 को साबित करने में सफल रहे है।

22. प्रकरण में यह स्पष्ट होने पर कि वरजांगा पुत्र सुजा व वरजांगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है। साथ ही यह भी स्पष्ट होने पर कि वरजांगा वल्द रतना नाम का कोई व्यक्ति असल में अस्तित्व ही नहीं करता है। इस प्रकार राजस्व इन्द्राज में अंकित इन्द्राज वरजांगा वल्द रतना को कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 01 के पक्ष में स्वीकार होने पर तनकी संख्या 02 को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है। जब राजस्व इन्द्राज में वरजांगा वल्द रतना का इन्द्राज को कलमजन किये जाने का अनुतोष स्वीकार किया गया है। उस स्थिति में अब जैता वल्द मोती की विरासत को लेकर वादी व सदा पुत्र मोती के वारिसों के मध्य कोई विवाद नही है। इस स्थिति में इस स्तर पर जैता पुत्र मोती की विरासत को लेकर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वरजांगा वल्द सुजा के वारिसान राजस्व इन्द्राज में से वरजांगा वल्द रतना का नाम कलमजन करवाते हुए मुतनाजा आराजी के सालिम खातेदार घोषित होने के अधिकारी उचित प्रतीत होते है। इस प्रकार तनकी संख्या 03 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

23. प्रकरण में तनकी संख्या 04 पर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त तनकी के उपर पृथक से दावा हाजा न्यायालय में विचाराधीन होकर अन्तिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 के वादी के पक्ष में स्वीकार होने से तनकी संख्या 05 व 06 के मात्र खण्डन स्वरूप तनकी होने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वादी अपने दावे का आधार साबित करने में सफल रहा है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर वादीगण को मुतनाजा आराजी में किये गये समर्पण से निरपेक्ष रहते हुए शेष आराजी में से वरजांगा/वरींगा वल्द रतना का राजस्व इन्द्राज कलमजन करवाने का अधिकारी घोषित करते हुए आराजी का सालिम खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019 / 00020 दर्ज तिथिः—15.03.2019

1. बाबुराम पुत्र बरजांगा
2. राजूराम पुत्र बरजांगा
3. गवरी पत्नी बरजांगा
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. भाखरा पुत्र हनुमानराम
3. वरीगा पुत्र रतना
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर वादीगण को मुतनाजा आराजी में किये गये समर्पण से निरपेक्ष रहते हुए शेष आराजी में से वरजांगा/वरींगा वल्द रतना का राजस्व इन्द्राज कलमजन करवाने का अधिकारी घोषित करते हुए आराजी का सालिम खातेदार घोषित किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:52 IST
Reason: SelfAttested